झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

सं0–4/स.भू. (नीति)–17/2018 /रा., राँची, दिनांक–

:: संकल्प ::

विषय :– **सरकारी एवं खासमहाल भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल–कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर नीति निर्धारण के संबंध में।**

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध दखलकारों के साथ भूमि की लीज बंदोबस्ती करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–6144/रा., दिनांक–21.12.2017 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है परन्तु अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती दखलकारों के साथ करने में कठिनाई महसूस की जा रही है।

राज्य के विभिन्न गैर–ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी जमीन पर कई लोग वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे हैं, परन्तु उनके साथ भूमि बन्दोबस्ती करने में व्यवहारिक कठिनाई है। विभागीय संकल्प संख्या–48, दिनांक–03.01.2017 द्वारा निर्धारित सलामी तथा रेंट की राशि देने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं जबकि अधिकांश दखलकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग से आते हैं।

चूँकि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलबध कराने के लिए कृत संकल्पित है इसलिए इन दखलकारों के घरों को तोड़कर बेघर करना उचित प्रतीत नहीं होता है। बन्दोबस्ती नहीं होने के फलस्वरूप राजस्व क्षति भी लगातार हो रही है।

सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल–कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर निर्णय हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक–19.02.2018 को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

1. **सरकारी भूमि की बंदोबस्ती/लीज बंदोबस्ती के संबंध में भूमि दर का सरलीकरण –**

(क) भूमि की लीज बन्दोबस्ती केवल उन व्यक्तियों के साथ की जायेगी जो 01.01.1985 से पूर्व भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं।

(ख) अधिकतम 10 डिसमील तक ही आवासीय उद्देश्य हेतु लीज बन्दोबस्ती की जायेगी।

(ग) यह लीज बन्दोबस्ती अहस्तान्तरणीय होगी। केवल उत्तराधिकार नामान्तरण (Succession Mutation) अनुमान्य होगा।

(घ) इस लीज बन्दोबस्ती के लिए सलामी/लगान की गणना निम्न तालिका के अनुसार की जायेगी।

कृ0पृ0उ0

D/All Sec /sec4/high level committee/(lalit)

तालिका

भूमि का मूल्य (प्रति डिसमिल)	सलामी (लगान का 20 गुणा)	लगान (भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत)	सेस (लागू नहीं)	30 वर्षों का लगान	कुल भुगतेय राशि (सलामी+30 वर्षों का लगान)
100000	10000	500	0	15000	10000+15000

अर्थात 25,000/–

(च) इस लीज बन्दोबस्ती की कार्रवाई राज्य सरकार के अनुमोदन से की जा सकेगी।

(छ) सलामी की राशि एकमुश्त देय होगी एवं लगान प्रतिवर्ष 30 वर्षों तक देय होगा अथवा इच्छानुसार/क्षमतानुसार 30 वर्षों का लगान एकमुश्त भी जमा किया जा सकेगा।

शेष मामलों में राज्य सरकार के पूर्व के निर्णय प्रभावी होंगे।

2. **शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निजी संस्थाओं के साथ सरकारी भूमि बंदोबस्ती पर रोक से संबंधित संकल्प संख्या–307/स.को., दिनांक–23.06.2004 का निरस्तीकरण** – राज्य के शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र में पड़नेवाले खासमहाल/सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती व्यक्ति विशेष तथा निजी संस्था के साथ नहीं करने का प्रावधान विभागीय परिपत्र संख्या–307/स.को., दिनांक–23.06.2004 द्वारा निर्गत है। समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की संभावना को देखते हुए वास्तविक (Genuine) तथा योग्य (Deserving) मामलों में रिक्त/पुनर्ग्रहित सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती करने पर राज्य सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त मात्र निम्न के लिए उपरोक्त पत्र को इस हद तक संशोधित किया जाता है :–

(i) "सभी के लिए आवास" हेतु 10 डिसमील तक 01.01.1985 अथवा उससे पूर्व से आवासित परिवारों के संबंध में रिक्त/पुनर्ग्रहित सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती, तथा

(ii) रिक्त/पुनर्ग्रहित (Resumed) खासमहाल भूमि के लीज बंदोबस्ती हेतु।

एतद विषयक पूर्व निर्गत आदेश/निदेश/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत सरकारी एवं खासमहाल भूमि के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–20.02.2018 में मद संख्या–15 के रूप में उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– इस संकल्प को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/–

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव

कृ0पृ0उ0

D/All Sec /sec4/high level committee/(lalit)

ज्ञापांक– 817 /राँची, दिनांक– 22-02-18

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

D/All Sec /sec4/high level committee/(lalit)